THINK IAS JOIN SAMYAK

Samyak

An Institute For Civil Services

DAILY CURRENT नामा

8 अगस्त

9875170111

SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनः स्वायत्तता और धार्मिक अधिकारों पर चिंताएं

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-II: राजव्यवस्था

सुर्खियों में क्यों ?

- वक्फ अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन ने विभिन्न हितधारकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच बहस और चिंता को जन्म दिया है।
- संशोधन विधेयक में ऐसे बदलाव लाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें कई लोग वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाला और संभावित रूप से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मानते हैं।

पृष्ठभूमि

- **वक्फ को समझें :** वक्फ की अवधारणा इस्लामी परंपराओं में गहराई से निहित है, जो धार्मिक दान का एक रूप है, जहां एक मुसलमान धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत या विरासत में मिली संपत्ति को समर्पित करता है। यह समर्पण स्थायी है, और संपत्ति से प्राप्त लाभ इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार उपयोग किए जाते हैं।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** भारत में वक्फ संपत्तियों का विनियमन समय के साथ विकसित हुआ है, जिसकी परिणति **1995** के वक्फ अधिनियम में हुई।
    - वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए **2013 में इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन** किया गया था। हालाँकि, नवीनतम प्रस्तावित संशोधनों ने सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण में वृद्धि के बारे में चिंताएँ जताई हैं।

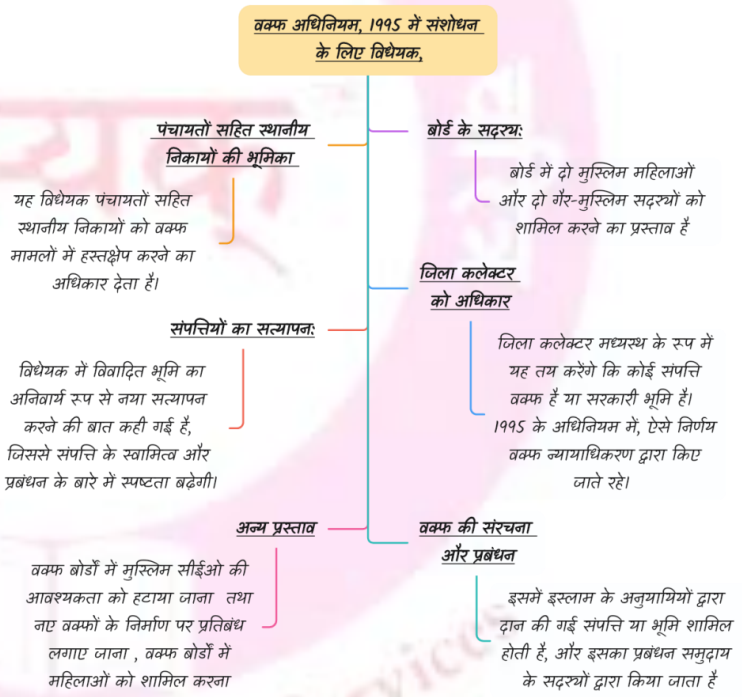

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

- **वक्फ की परिभाषा:** वक्फ इस्लामी कानून में एक धार्मिक बंदोबस्ती है, जहां कोई व्यक्ति धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है, और संपत्ति अविभाज्य हो जाती है।
    - वक्फ से प्राप्त आय से आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को वित्त पोषित किया जाता है।
- **वक्फ का संचालन कैसे होता है?**
    - भारत में वक्फ को **वक्फ अधिनियम, 1995** द्वारा विनियमित किया जाता है।

- ***सर्वेक्षण आयुक्त*** *स्थानीय जांच करके, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को* ***सूचीबद्ध*** *करता है।*
- *वक्फ का* ***प्रबंधन एक मुतवली द्वारा किया जाता है****, जो* ***पर्यवेक्षक*** *के रूप में कार्य करता है।*

- ***वक्फ बोर्ड क्या है?***
  - *वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है।*
  - ***प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड*** *होता है जिसका नेतृत्व एक* ***अध्यक्ष*** *करता है, जिसमें राज्य सरकार, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवली (प्रबंधक) शामिल होते हैं।*
  - *बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षकों की नियुक्ति करता है कि वक्फ और उसके राजस्व का उपयोग उनके निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाए।*
  - ***1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)*** *पूरे भारत में राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह देती है।*

वक्फ अधिनियम 1995:

- *यह भारत सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों* ***के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार*** *के लिए बनाया गया व्यापक कानून है।*
- ***यह*** *केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों* ***की स्थापना करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्डों के बीच शक्तियों का वितरण करता है।***
- ***मुख्य प्रावधानों में वक्फ बोर्ड के साथ सभी वक्फों का*** *अनिवार्य पंजीकरण,* ***वक्फों का*** *एक केंद्रीय रजिस्टर* ***बनाए रखना, कार्यकारी*** *अधिकारियों की नियुक्ति* ***के लिए वक्फ बोर्डों का अधिकार, वक्फ*** *संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना,* ***वक्फ*** *रखरखाव* ***के लिए*** *वार्षिक बजट* ***तैयार करना और वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड का रखरखाव और निरीक्षण करना शामिल है।***

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

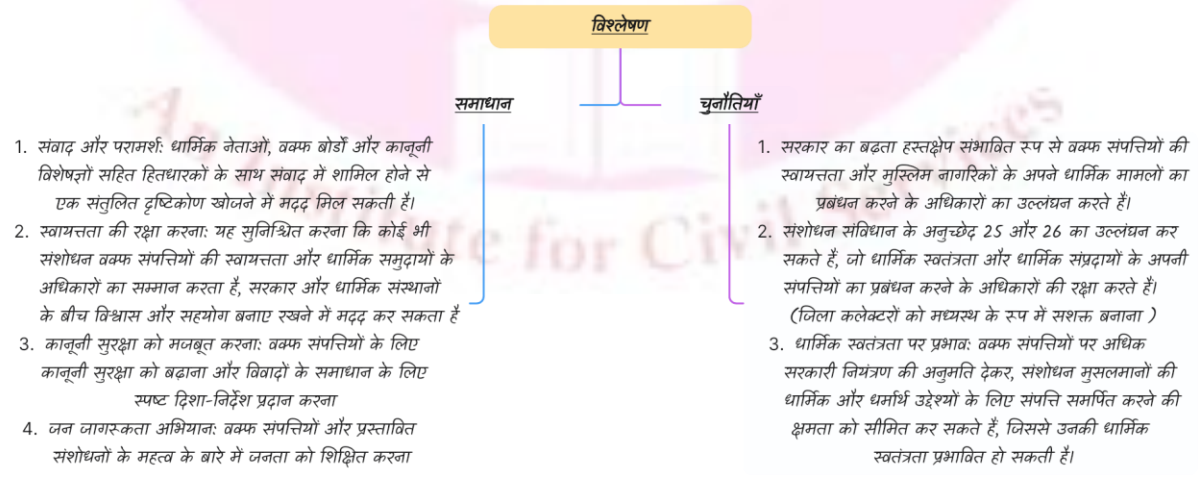

देश में अंग दान करने के मामले में महिलाएं आगे

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-I: सामाजिक सशक्तीकरण

सुर्खियों में क्यों ?

- वर्ष 2023 भारत में अंगदान के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ, जिसमें अब तक की सबसे अधिक संख्या में प्रत्यारोपण किए जाएंगे। अंगदान में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि 5,65 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 9,784 जीवित अंग दानकर्ता हैं।
- इसके अतिरिक्त, तेलंगाना मृतक दाता प्रत्यारोपण के मामले में देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, जिसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है।

पृष्ठभूमि

- **अंगदान की बढ़ती ज़रूरत:** भारत में अंग विफलता का कारण बनने वाली गैर-संचारी और जीवनशैली संबंधी बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि के साथ ही अंग प्रत्यारोपण की मांग भी बढ़ रही है। देश में अंगदान की दर प्रति दस लाख की आबादी पर एक से भी कम है, जो आपूर्ति और मांग के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करती है।
- **प्रत्यारोपण के लिए ऐतिहासिक वर्ष:** 2023 में, भारत में कुल 18,378 अंग प्रत्यारोपण हुए, जिनमें जीवित और मृत दोनों तरह के अंगदाता शामिल थे, जो पिछले रिकॉर्ड को पार कर गए।
- **अंगदान में लैंगिक गतिशीलता:** जीवित दाताओं के आंकड़ों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक थी। हालांकि, मृतक दाताओं की संख्या पुरुषों में अधिक थी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

- **भारत में अंगदान से संबंधित कानून**
  - **मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994:** इसे चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, भंडारण और प्रत्यारोपण की व्यवस्था प्रदान करने और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन-देन की रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशानिर्देश**

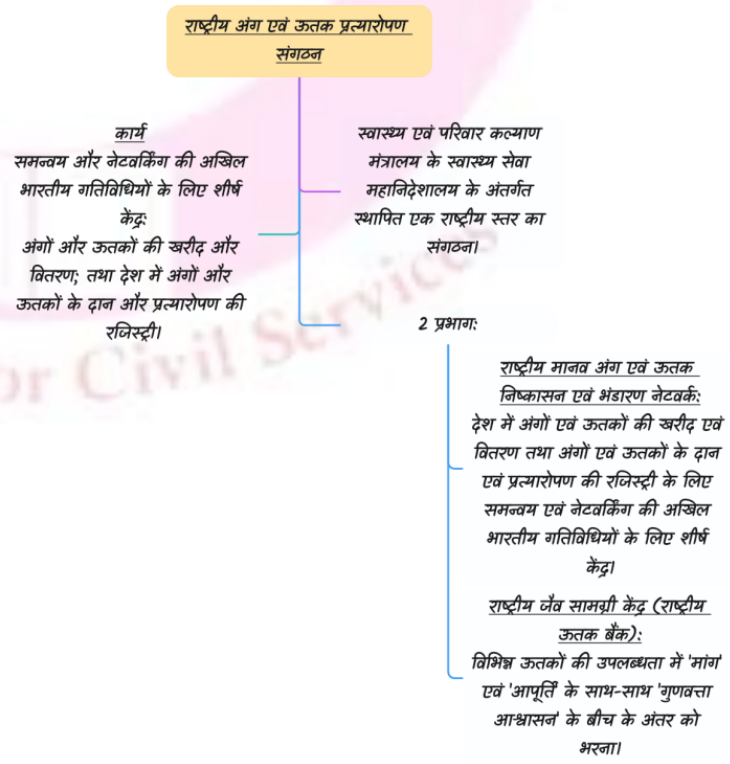

- ***दानकर्ताओं के प्रकार:***
  - ***जीवित दानकर्ता:*** *18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एक किडनी या अपने लीवर का एक हिस्सा दान कर सकते हैं।*
  - ***मृतक दानकर्ता:*** *किसी भी उम्र के मस्तिष्क-मृत व्यक्ति हृदय, फेफड़े, लीवर, गुर्दे, अग्न्याशय और छोटी आंत सहित आठ महत्वपूर्ण अंगों को दान कर सकते हैं।*

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

भारत में अंगदान के लिए वर्ष 2023 ऐतिहासिक रहा है, जो देश की अंगदान प्रणाली में वृद्धि और सुधार की संभावना को दर्शाता है। इस सफलता में महिलाओं का अहम योगदान रहा है ।

अन्य खबरें

चर्चा का विषय	***महत्वपूर्ण जानकारी***
प्रोजेक्ट पीएआरआई	• ***सुर्खियों में क्यों –*** *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत का विवरण जारी किया।* • ***मंत्रालय –*** *संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया* • ***हितधारक–*** *इसमें ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी और देश भर के 150 से अधिक दृश्य कलाकारों के बीच साझेदारी शामिल है।*

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

<u>विश्व धरोहर समिति के बारे में (WHC):</u>

- यह **यूनेस्को** की विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को शामिल करने का निर्णय लेती है।
- भारत जुलाई 2024 में **पहली बार** इस बैठक की मेज़बानी करेगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

प्रोजेक्ट पीएआरआई - सुर्खियों में पारंपरिक कला

</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>

नमामि गंगे मिशन 2.0

</td>
<td>

- **<u>सुर्खियों में क्यों</u>** – नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में चार बड़ी परियोजनाओं का परिचालन शुरू।
- **<u>पृष्ठभूमि:</u>** नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे 2014 में मार्च 2021 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। कार्यक्रम को बाद में नमामि गंगे कार्यक्रम 2.0 के रूप में **31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया** था।

</td>
</tr>
</table>

	यह पूरी तरह से **केंद्र द्वारा वित्त पोषित** पहल है • **उद्देश्य:** प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन और गंगा नदी का कायाकल्प। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसके राज्य और जिला समकक्ष। • **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन** ○ यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। ○ इसके माध्यम से, भारत सरकार गंगा के समग्र कायाकल्प के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है
नंदिनी सहकार योजना	• **शुरुआत - 2010 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा** • **इसके बारे में -** यह एक महिला-केंद्रित रूपरेखा है जो वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, सहायता और क्षमता विकास प्रदान करती है। • **उद्देश्य** - एनसीडीसी के दायरे में व्यवसाय मॉडल-आधारित गतिविधियों को शुरू करने में महिला सहकारी समितियों की सहायता करना है। 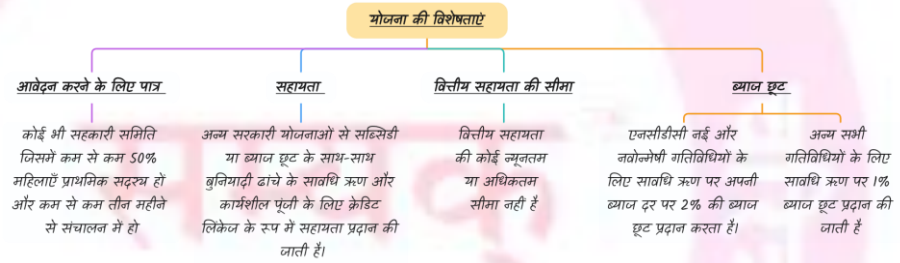
टैंटालम और संबंधित खनिजों	• **सुर्खियों में क्यों** – केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत टैंटलम को एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया। • **टैंटलम के बारे में** ○ टैंटलम एक दुर्लभ धातु है। ○ यह भूरा, अत्यंत कठोर और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। ○ शुद्ध टैंटलम लचीला होता है, जिससे इसे बिना टूटे पतले तारों में खींचा जा सकता है। ○ टैंटलम का गलनांक भी अत्यंत उच्च होता है। 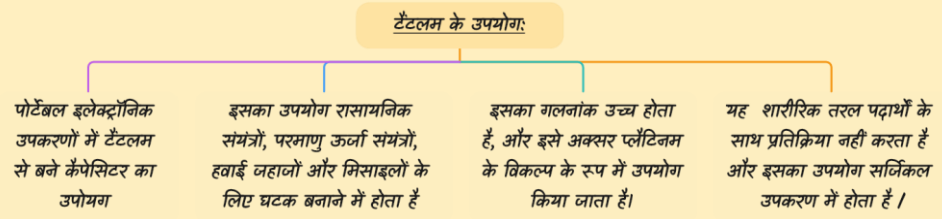

बेली ब्रिज	• ***सुर्खियों में क्यों*** – हाल ही में, भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियर ग्रुप ने "बेली ब्रिज" का प्रयोग वायनाड़ भूस्खलन के प्रभावित स्थलों में राहत कार्यों के दौरान किया।
	
	• ***इसके बारे में*** – यह पुल पूर्व-निर्मित भागों से बना होता है जो आवश्यकतानुसार त्वरित संयोजन और तैनाती की सुविधा प्रदान करता है।
	• ***आविष्कारक:*** अंग्रेजी सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलमैन बेली ने ***द्वितीय विश्व युद्ध*** के दौरान पुल का डिजाइन तैयार किया था।
	• ***उपयोग:***
	    ○ ***आपदा राहत:*** इसकी तीव्र तैनाती और छोटे ट्रकों में परिवहन में आसानी के कारण आपातकालीन स्थितियों के लिए आदर्श। ***2021 में उत्तराखंड बाढ़*** जैसी प्राकृतिक आपदाओं में उपयोग किया गया।
	    ○ ***सैन्य संचालन:*** युद्ध क्षेत्रों में त्वरित बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम करके सामरिक लाभ प्रदान करता है। पाकिस्तान के साथ ***1971 के युद्ध*** में उपयोग किया गया।

सोन नदी	• ***सुर्खियों में क्यों*** – झारखंड के गढ़वा जिले के पास सोन नदी की बाढ़ में फंसे 40 से अधिक लोगों को हाल ही में राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) द्वारा बचाया गया। • ***नदी के बारे में:*** यमुना नदी के बाद गंगा (गंगा) नदी की एक मुख्य दक्षिणी सहायक नदी। • ***उद्गम स्थल*** : मध्य प्रदेश में ***अमरकंटक*** की पहाड़ियों में, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की पूर्व दिशा में। • ***प्रवाह:*** यह पूर्व दिशा में मुड़ने से पहले मध्य प्रदेश से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बहती है, जहां यह कैमूर रेंज से मिलती है। • ***प्रकृति:*** एक मौसमी नदी, इसलिए यह नेविगेशन के लिए महत्वहीन है। • ***सहायक नदियाँ:*** रिहंद, कोयल, गोपद और कनहर नदी

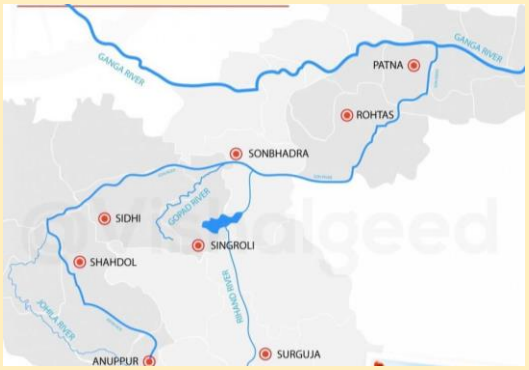

राजस्थान से सम्बंधित समसामयिक घटनाएँ

मा (MAA) वाउचर योजना

- इस योजना का पूरा नाम **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना** है।
- यह योजना **8 अगस्त 2024** को **जयपुर** से राज्य स्तर पर शुरू की गई।
- इस योजना का उद्देश्य **सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर में कमी** लाना है।
- इस योजना से दूर दराज के क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल सकेगी।
- यह सुविधा राज्य स्तर पर अधिकृत निजी केन्द्रों पर निशुल्क उपलब्ध होगी
- इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च, 2024 को तीन जिलों- बारां, भरतपुर एवं फलौदी में की गई थी।

स्टेट रिमोट एप्लीकेशन का सबसेंटर जयपुर में शुरू होगा

- राजस्थान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशन का सब सेंटर जनवरी 2025 में जयपुर में शुरू होगा।
- इसका **संचालन इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान परिसर** में सेटकॉम कार्यालय से किया जाएगा।
- **राज्य सरकार ने बजट 2024-25** में जयपुर में सब सेंटर खोलने की **घोषणा** की थी।
- जयपुर में सेंटर खुलने के विभागों से संबंधित योजनाएं बनाने के लिए पानी, भूमि और उपग्रह से संबंधित क्षेत्रों के नक्शे तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे।
- **नोटः वर्तमान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में स्थित है।**

एएसपी पवन कुमार जैन को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार

- वन विभाग की ओर से 7 अगस्त 2024 को 75वां राज्यस्तरीय वन महोत्सव मनाया गया।
- यह महोत्सव टूटू के गाडोता में आयोजित किया गया।
- मुख्यमंत्री ने महोत्सव में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार के तहत वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए।
- वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा श्रेणी में उदयपुर की सती की चोरी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को वर्ष 2020 के लिए पुरस्कृत किया गया।
- वन विकास, संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी में -
    - श्री नारायण लाल कुमावत (वर्ष 2019),
    - राजसमंद के श्री श्याम सुन्दर पालीवाल (वर्ष 2020),
    - सीकर की सुश्री अभिलाषा व भरतपुर के श्री बच्चू सिंह वर्मा (वर्ष 2021)
    - कोटा के श्री पवन कुमार जैन (वर्ष 2022) को सम्मानित किया गया।
- वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में –
    - नागौर के श्री गजेन्द्र सिंह मांझी (वर्ष 2020)
    - उदयपुर के श्री पद्म सिंह राठौर (वर्ष 2021)
- जयपुर के श्री मोहित शर्मा व सुश्री दिव्या शर्मा (वर्ष 2022) को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया।
- इसके तहत 50 हजार रुपए की राशी, स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

राजस्थान में राज्य सभा उपचुनाव

- राजस्थान में एक राज्य सभा सीट हेतु चुनाव 3 सितंबर को होंगे।
- यह सीट कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव जीतने से रिक्त हुई है।
- वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन हैं।
- राजस्थान में राज्यसभा की 5 सीटें कांग्रेस तथा 4 सीटें भाजपा के पास हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राज्यसभा सांसद	भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद
1. सोनिया गांधी 2. रणदीप सिंह सुरजेवाला 3. प्रमोद तिवारी 4. मुकुल वासनिक 5. नीरज डांगी	1. मदन राठौड़ 2. राजेंद्र गहलोत 3. चुन्नीलाल गरासिया 4. घनश्याम तिवाड़ी